



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु आवेदन सत्र 2024–25

1. महाविद्यालय का नाम :

2. पूरा पता (पिन कोड सहित) प्लाटं नं. मार्ग / नगर / सड़क का नाम: तहसील:— जिला:—

3. महाविद्यालय के टेलीफोन नं. (कोड सहित) मोबाईल नं. ईमेल आई.डी.

4. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम, पता एवं टेलीफोन नम्बर :—

5. महाविद्यालय की स्थापना वर्ष व दिनांक :

6. रजिस्टर्ड सोसाइटी का नाम जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है:—

7. उक्त सोसाइटी के तहत संचालित महाविद्यालयों के नाम व पते:—

8. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक संबद्धता किस वर्ष व दिनांक को, संकाय / विषय में प्रदान की गयी

9. महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की सत्रवार संख्या—

सत्र	कला	वाणिज्य	विज्ञान	अन्य	कुल विद्यार्थियों की संख्या
2022–2023					
2023–2024					
2024–2025					

10. प्राचार्य का नाम, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति तिथि व मोबाईल नं.

11. उप प्राचार्य का नाम, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति तिथि व मोबाईल नं.

12. प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं शिक्षकों के नाम, योग्यता, अनुभव, चयन का वर्ष, स्थायी / अस्थायी (केवल उन्हीं शिक्षकों का विवरण दें जो पूरी परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्य से जुड़े रहेंगे।) (10 रु. के स्टाम्प पेपर पर)

क्र.सं.	नम	योग्यता	अनुभव	चयन का वर्ष	स्थायी / अस्थायी	विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन की तिथि

13. शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या, नाम, योग्यता, चयन का वर्ष, स्थायी / अस्थायी (विवरण संलग्न करें)
14. सहायक कर्मचारियों की संख्या, नाम, योग्यता, चयन का वर्ष, स्थायी / अस्थायी (विवरण संलग्न करें)
15. महाविद्यालय भवन स्वयं (संरक्षण) का है या किराये का (विवरण दें:- स्वयं का / किराये का
16. महाविद्यालय भवन का विस्तृत विवरण:-

क्र. सं.	कमरा क्रमांक	साईज (वर्ग फुट में)	कक्ष में ट्यूबलाईट / वल्बों की संख्या	कक्ष में पंखों की संख्या	परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा)

नोट:- अलग से महाविद्यालय भवन का विस्तृत विवरण संलग्न करें)

17. स्ट्रोंग रूप मय साइज (फोटो संलग्न करें)
18. परीक्षा कार्य हेतु आलमारियों की संख्या (मय साइज):-
19. परीक्षार्थियों के उपयोग हेतु उपलब्ध फर्नीचर संख्या:-
20. पानी की व्यवस्था:- सार्वजनिक आपूर्ति / बोरिंग / निजी स्रोत से
21. शौचालयों की संख्या:-
 - (1) छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक—पृथक बताएँ:-
 - (2) स्टाफ के लिए:-
 - (3) सफाई कर्मचारियों की संख्या:-
22. क्या मुख्य पोर्च में चालू हालत में घड़ी है? हां / नहीं
23. क्या आपने मुख्य सड़क से प्रत्येक मोड़ पर अपने महाविद्यालय तक पहुंचने के लिए बोर्ड लगाए हैं जिससे महाविद्यालय तक पहुंचने में असुविधा न हो:-
24. आपके महाविद्यालय के निकटतम स्थित पाँच महाविद्यालयों के संबंध में निम्न जानकारी दे:-

महाविद्यालय का नाम	पता	कोड नम्बर	आपके महाविद्यालय से दूरी	छात्र संख्या

आवेदन की दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

- यदि पूरी सूचना देने के लिए प्रपत्र में स्थान पर्याप्त नीं हो तो पृथक से कागज लगाकर उसे प्राचार्य के हस्ताक्षरों तथ सील से प्रमाणित करें। आवेदन—पत्र की सभी पूर्तियां भरना अनिवार्य है।

परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के नियम व शर्तेः—

1. नये परीक्षा केन्द्र हेतु आवेदन शुल्क 20,000/- रु. होगा। यह राशि Non-Refundable होगी। वर्ष 2024 तक बने सभी स्थायी/अस्थायी परीक्षा केन्द्रों एवं राजकीय महाविद्यालयों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है। लेकिन सभी परीक्षा केन्द्रों को जारी रखने हेतु आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालयों में नियमित छात्र/छात्राओं की न्यूनतम संख्या 180 तथा एक पारी में कम से कम 700 छात्र/छात्राओं की परीक्षा कराने की क्षमता होनी चाहिए।
3. निजी महाविद्यालय को जून 2024 में कम से कम तीन अकादमिक सत्र पूरे होने चाहिए।
4. महाविद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर एवं स्वयं का भवन होना चाहिए।
5. निजी महाविद्यालय में प्राचार्य, शिक्षक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी पूर्णकालिक होने चाहिए।
6. केवल प्राचार्य ही परीक्षा सामग्री रखने तथा उपयोग करने हेतु अधिकृत होंगे।
7. स्ट्रोंग रूप, अलमारी तथा बक्से डबल लॉक वाले होने चाहिए।
8. परीक्षा केन्द्र तक पहुंचने का रास्ता सुगम होना चाहिए। प्रत्येक मोड़ पर महाविद्यालय तक पहुंचने का दिशा निर्देशक होना चाहिए।
9. महाविद्यालय की चारदीवारी कम से कम 6 फुट ऊंची होनी चाहिए।
10. महाविद्यालय परीक्षाओं की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से बन्द व एकल प्रवेश व्यवस्था होनी चाहिए।
11. बिजली, पानी एवं शौचालय (छात्र/छात्राओं के पृथक—पृथक) की व्यवस्था होनी चाहिए।
12. केन्द्राधीक्षक/महाविद्यालय के पास 24 घंटे मोबाइल व टेलीफोन उपलब्ध होना चाहिए।
13. परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से अन्तिम तिथि तक के दौरान चौकीदार 24 घंटे उपलब्ध होने चाहिए।
14. विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रति विद्यार्थी स्थान प्रदत्त होना चाहिए।
15. आन्तरिक उड़न दस्ता विश्वविद्यालय नियमानुसार होना चाहिए।
16. परीक्षायें विश्वविद्यालय के नियमानुसारः— फार्म 24—ई के अनुसार सम्पन्न होनी चाहिए।
17. स्थायी परीक्षा केन्द्रों का भी पुनः निरीक्षण किया जा सकता है।
18. किसी भी महाविद्यालय के नियमित छात्रों के परीक्षा केन्द्र के आवंटन का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का है।
19. आवेदन पत्र रा.वि.वि. की ई—मेल आई.डी. dexamcellar2019@yahoo.com पर भेजे एवं Hard Copy रा.वि.वि. के परीक्षा विविध अनुभाग में निश्चित तिथि तक जमा करावें।

परीक्षा नियंत्रक

घोषणा पत्र

मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त वर्णित संख्या—1 से 19 तक के सभी नियमों/शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है जिसकी पालना के लिए मेरा महाविद्यालय बाध्य है।

प्राचार्य



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सरदार पटेल भवन, विश्वविद्यालय परिसर,
जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302004

अस्थायी परीक्षा केन्द्र अभिवृद्धि आवेदन प्रपत्र
परीक्षा सत्र 2024-25

1. महाविद्यालय का नाम मय कोड :

2. प्राचार्य का नाम: मोबाईल नम्बर:

3. महाविद्यालय का पता (पिन कोड सहित) :

..... तहसील:- जिला:-

4. महाविद्यालय के टेलीफोन नं. (कोड सहित) मोबाईल नं.

महाविद्यालय का आपातकालीन मोबाईल नम्बर:

ईमेल आई.डी.

5. क्षेत्रीय पुलिस थाने का नाम

पता

दूरभाष नम्बर :—

6. महाविद्यालय की स्थापना वर्ष मय दिनांक

7. रजिस्टर्ड सोसाइटी का नाम जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है:-

8. उक्त सोसाइटी के तहत संचालित अन्य महाविद्यालयों के नाम व पते:-

.....

.....

9. महाविद्यालय किस वर्ष में परीक्षा केन्द्र बना:-

10. वर्ष 2024 की परीक्षा में अधिकतम आवांटित परीक्षार्थियों की संख्या

11. महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की सत्रवार संख्या-

शैक्षणिक सत्र	कला	वाणिज्य	विज्ञान	अन्य	कुल विद्यार्थियों की संख्या
2022-23					
2023-24					
2024-25					

12. उप प्राचार्य का नाम मोबाईल नं.

13. प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षको, शैक्षणिक कर्मचारी एवं सहायक कर्मचारी के नाम, योग्यता, अनुभव, चयन का वर्ष, स्थायी/अस्थायी (केवल उन्हीं शिक्षको का विवरण दें जो पूरी परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्य से जुड़े रहेंगे।) (50 रु. के स्टाम्प पेपर पर)

क्र.सं.	नम	योग्यता	अनुभव	चयन का वर्ष	स्थायी / अस्थायी	विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन की तिथि

14. परीक्षा कार्य हेतु आलमारियों की संख्या (मय साइज):—

15. परीक्षार्थियों के उपयोग हेतु उपलब्ध फर्नीचर संख्या (टेबल / कुर्सी):—

16. पानी की व्यवस्था:— सार्वजनिक आपूर्ति/बोरिंग/निजी स्रोत से

17. शौचालयों की संख्या:—

(1) छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक—पृथक बताएँ:—

(2) स्टाफ के लिए:—

(3) सफाई कर्मचारियों की संख्या:—

18. क्या आपने मुख्य सड़क से प्रत्येक मोड़ पर अपने महाविद्यालय तक पहुंचने के लिए साईन बोर्ड लगाए हैं जिससे महाविद्यालय तक पहुंचने में असुविधा न हो।

19. महाविद्यालयों में नियमित छात्र/छात्राओं की न्यूनतम संख्या 250 तथा एक पारी में कम से कम 500 छात्र/छात्राओं की परीक्षा कराने की क्षमता होनी चाहिए।

20. आपके परीक्षा केन्द्र के निकटतम सात महाविद्यालयों की सूचना निम्न प्रारूप में दूरी सहित दर्ज करें:—

(उक्त कॉलम की आपूर्ति के अभाव में परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाना असंभव होगा)

क्र.सं.	कोड नम्बर	महाविद्यालय का नाम	पता	आपके परीक्षा केन्द्र से दूरी कि.मी. में
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

21. आपके परीक्षा केन्द्र से संबंधित निकट पारिवारिक/रिस्तेदारी वाले महाविद्यालय की सूचना निम्न प्रारूप में दर्ज करें:—

क्र.सं.	कोड नम्बर	महाविद्यालय का नाम	पता	संबंध
1				
2				
3				

(उक्त सूचना में आप द्वारा कोई भी असत्य कथन पाये जाने पर आपके परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा/सम्बद्धता संबंधित कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र है।)

22. सभी परीक्षा कक्षों में समय देखने के लिए चालू हालत में घड़ी होना आवश्यक है।

23. वर्ष 2024 तक बने सभी राजकीय/निजी परीक्षा केन्द्रों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है। लेकिन सभी परीक्षा केन्द्रों को जारी रखने हेतु आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

24. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी आवंटन का सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।

25. परीक्षायें विश्वविद्यालय के नियमानुसार:— फार्म 24-ई के अनुसार सम्पन्न होनी चाहिए।

26. स्थायी/अस्थायी परीक्षा केन्द्रों का भी पुनः निरीक्षण किया जा सकता है।
27. आवेदन पत्र रा.वि.वि. की ई—मेल आई.डी. dexamcellar2019@yahoo.com पर भेजे एवं Hard Copy राज. वि.वि. के परीक्षा (विविध अनुभाग) में निश्चित तिथि तक जमा करावें।
28. परीक्षा केन्द्र से संबंधित किसी भी वाद विवाद का न्यायालय क्षेत्र जयपुर रहेगा।

दिनांक:-

प्राचार्य/प्राचार्या
हस्ताक्षर मय सील

- यदि पूरी सूचना देने के लिए प्रपत्र में स्थान पर्याप्त नहीं हो तो पृथक से कागज संलग्न कर उसे प्राचार्य के हस्ताक्षरों तथ सील से प्रमाणित करें। आवेदन—पत्र की सभी पूर्तियां भरना अनिवार्य है।
- उक्त परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करता है।
हाँ/नहीं

प्राचार्य/प्राचार्या
हस्ताक्षर मय सील